27/11/24

पत्रावली पास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष

अपने वकील प्रार्थिगण के द्वारा की गई संख्या 2 में अंकित रकबा जिसमें प्रार्थी नं. 1 के नाम से 1.240 हे० व अन्य सहखातेदारान दौलतराम, रोशनराम, तुलसीराम पि० मगाराम के नाम 4.960 हे० रकबा खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी-1 ने घर बंटवारा सहखातेदारान दौलतराम पक्षों से किया हुआ है। प्रार्थी नं. 1 का पत्तल 109/343 खसरा नं. 1 ता 5 का 1.240 हे० पर कब्जा है व इतना ही रकबा की खातेदार है एवं शेष खसरा नं० 6 ता 45 के 4.960 हे० रकबा पर शेष खातेदार का कब्जा है। प्रार्थी-1 ने अपने हिस्से के 1.240 हे० में से पूर्व रकबा का बेचान जरिये रजिस्ट्री 26/12/17 को प्रार्थी संख्या-2 के साथ कर खसरा 2 ता 5 का कब्जा प्रार्थी को सौंपा हुआ है। उक्त रकबा पर प्रार्थी-2 काबिज है। अप्रार्थी सं. 192 पत्तल 109/343 के बाकी के रकबा को छोड़कर शेष रकबा पर भी कब्जा करने की मंशा से दखलंदाजी करना चाहते हैं जो गैरकानूनी है। प्रार्थीगण प्रार्थिना की रक्षा उक्त रकबा चाहते हैं जो गैरकानूनी है व अप्रार्थीगण को रोका जावे। यदि यह कब्जे नुकसान दे कायम हो गये तो हमें ना पूरा होने वाला नुकसान होगा अतः यह प्रार्थिगण व उनकी मंशा खातेदारी सो ने कोई नया निर्माण करे में व ना ही दखल करे।

वकील अप्रार्थी 192 ने बताया की हम कोई दखलंदाजी नहीं कर रहे व ना ही कोई निर्माण कर रहे हैं अतः प्रार्थना पत्र T.I. निरस्त किया जावे।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहलकार हुक्म की तारीख में जारी हुए
	पत्रावली का अवलोकन किया व कथन पर भी ध्यान दिया गया। प्रार्थीगण ने अपने रास्ता संयुक्त खाता मय खसरा एवं सम्पूर्ण भूमि संयुक्त खातेदारी में है। प्रार्थीगण के अन्य सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है। जबकि उन्हें पक्षकार बनाया जाना चाहिए था। पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि यदि सम्पूर्ण रास्ता को प्रतिबंधित या निषेध करे इनके सहखातेदारों के हित भी प्रभावित होंगे जबकि प्रार्थीगण द्वारा पक्षकार [illegible] चाहिए है। इसलिये उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण 212 R.T.A. खारिज किया जाता है व पूर्व में जारी T.I. आदेश 21.1.19 भी निरस्त किया जाता है। आदेश सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.01.01 12:50:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: